हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सोलहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 150

बुधवार, 23 अगस्त, 2017/1 भाद्रपद, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. शोकोद्‌गारः

निम्नलिखित ने श्री बलवन्त सिंह नेगी, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किएः-

1. श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मंत्री
2. श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
3. श्री गुलाब सिंह ठाकुर
4. माननीय अध्यक्ष महोदय

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया)

11.10 AM

शोकोद्‌गार के तुरन्त पश्चात् विपक्ष के सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अन्तर्गत पिछले कल हमने नोटिसिज़ दिए थे, उस विषय पर तुरन्त चर्चा करवाई जानी चाहिए। हमारा निवेदन है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईश्यू है। यह हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल है और सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके कानून व्यवस्था पर एकदम चर्चा होनी चाहिए।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"कल जो आपने नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा मांगी थी, उसके लिए मैंने आपको कल बता दिया था कि इस नियम के अनुसार चर्चा होल्ड नहीं हो सकती है क्योंकि रूल के अनुसार चर्चा के लिए अगर कोई और devices हैं तो नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा नहीं लग सकती। "

(विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने शुरू किए)

2. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3899, 3994, 4004, 4009 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 4105 से 4121 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1641, 1658 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1736, 1737 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

(पूर्वाह्न 11.25 बजे सदन की बैठक पूर्वाह्न 11.40 बजे तक स्थगित की गई)
(पूर्वाह्न 11.40 बजे सदन की बैठक अपराह्न 12.00 बजे तक पुनः स्थगित की गई)
(अपराह्न 12.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

बैठक के प्रारम्भ होते ही विपक्ष के सदस्य, श्री सुरेश भारद्वाज ने दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि हमने जो नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस विषय पर सदन के सारे कार्य को रोक कर चर्चा करवाई जानी चाहिए।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

" मैंने जैसे कल भी कहा था कि अगर बाकी डिवाइसिज अवेलेबल है तो रैजोल्यूशन नियम-67 के अन्तर्गत नहीं लग सकता। इसलिए ही हमने उसको नियम-130 में कन्वर्ट करके लगाया है। इसमें यह है कि जब डिसकशन होगी तो इसमें सभी मैंबर भाग ले सकते हैं। इस विषय को मैंने नियम-67 के अन्तर्गत डिस-अलौ कर दिया है और अब इसे नियम-130 में लगा दिया गया है। "

(विपक्ष के माननीय सदस्य नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव पर जोर देते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के पास एकत्रित हो गए तथा नारे लगाते रहे)

12.05PM

3. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूल्ज़, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःका0 (नि-4)-ए(3)-3/84-IV दिनांक 19.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.04.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री जी0एस0 बाली , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःयू0डी0ए0(3)-7/2011-लूज़ दिनांक 10.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.04.2017 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः यू0डी0ए0 (3)-7/2011-लूज़

दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.05.2017 को प्रकाशित ।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री अजय महाजन, सदस्य ने लोक लेखा समिति** (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 183वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 184वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्रों) पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के 143वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 163वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति ने** (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 30वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 31वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 32वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्री संजय रत्तन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति ने** (वर्ष 2017-18),समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का 75वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के ऑडिट पैरा संख्याः3.8 से 3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 76वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्याः2.9 से 2.20 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित से सम्बन्धित है;और

(iii) समिति का 77वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है।

(4) श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति ने (वर्ष 2017-18), समिति का 37वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित मुख्य मन्त्री आदर्श ग्राम योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति ने (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 35वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 36वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

(6) **श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति ने** (वर्ष 2017-18), समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का प्रस्तुतीकरण, सामान्य चर्चा, मतदान एवं पारणः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2010-2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 1,4,5,7,9,10,11,12,13,14,16,18,23,26,27,29, 30,31 और 32 के अन्तर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार हुआ)
मांगें पूर्ण रूप से पारित हुई

6. विधायी कार्यः

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
अनुसूची विधेयक का अंग बनी।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मैं आप सभी (विपक्ष) से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आपके ही रैजोल्यूशन आ रहे हैं उनकी चर्चा में आप भाग लीजिए। ये आपके ही रैजोल्यूशन आ रहे हैं, इनमें चर्चा कीजिए, जितना मर्जी बालिए। आप चर्चा कीजिए, आपका विषय चर्चा के लिए लगा है।

(विपक्ष के माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप नारे लगाते रहे)

अपराह्न 12.20 बजे सदन की बैठक वीरवार, 24 अगस्त, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।